



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 30 मार्च, 1983

चैत्र 9, 1905 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1168/सतह-वि०-1-(क)-4/1983

लखनऊ, 30 मार्च, 1983

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था), (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 27 मार्च, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के विषये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि- 2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 :
नियम संख्या 15 उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मा
सन् 1977 की 1984" रख दिये जायेंगे।
धारा 2 का संशोधन

भाशा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 1168 (2)/XVII-V-1-1(Ka) 4-1983

Dated Lucknow, March 30, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 27, 1983.

**THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAVASTHA)
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1983**

[U. P. ACT NO. 8 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977

It is HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Short title. Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 15 of 1977. 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), for the words and figures "31st day of March, 1983", the words and figures "31st day of March, 1984" shall be substituted.

By order, ^v
G.B. SINGH,
Sachiv.]